न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

हकसफा अपील वाद सं0–03 / 2013

संजु देवी.....अपीलार्थी

बनाम

व्यासदेव महतो उर्फ व्यास महतो.....उत्तरवादी

आदेश

9.02.15

अपीलार्थी संजु देवी पति अरूण कुमार महतो, साकिन–भगवान चौक, पो0–बरैय बंगराहा, थाना+जिला–खगड़िया ने व्यासदेव महतो उर्फ व्यास महतो, वो तपेश्वर महतो पेसरान–स्व0 मोहनालाल महतो, ग्राम–भगवान चौक, पो0–बरैय बंगराहा, थाना+जिला–खगड़िया को उत्तरवादी प्रथम पक्ष एवं मो0 गोदा देवी पति स्व0 सत्य नारायण महतो वो मसूदन महतो पिता–स्व0 कमली महतो वगैरह ग्राम–भगवान चौक, पो0–बरैय बंगराहा, थाना+जिला–खगड़िया को उत्तरवादी द्वितीय पक्ष बनाते हुए यह अपीलवाद विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता खगड़िया द्वारा हकसफा वाद सं0–10 / 2011 में दिनांक–26.05.2014 को पारित आदेश से क्षुब्ध होकर दायर किया है।

विवादी भूमि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

मौजा–	खाता	खेसरा–	रकवा,
बेला सिमरी बांध घोघराहा–	164–	301–	1 बिधा

अपीलार्थी का कहना है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया का दिनांक–26.05.14 को पारित आदेश कानुनी दृष्टिकोण से सही नहीं है। उत्तराधिकारी प्रथम पक्ष न तो प्रश्नगत भूमि का चौहद्दीदार है न ही सह–हिस्सेदार। उनका कहना है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष का पूर्वी चौहद्दीदार होने का दावा गलत है।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि प्रश्नगत भूमि का 10 कट्ठा भू–खण्ड इस मामले की कार्यवाही शुरू होने के पहले तथा चालान से राशि जमा करने के पूर्व ही प्रभात कुमार और धीरज कुमार पिता–अरूण कुमार महतो ग्राम–भगवान चौक पो0–बरैया बंगराहा, थाना+जिला–खगड़िया को दानपत्र द्वारा हस्तान्तरित कर दिया था। वे दोनों नावालिक पुत्र (अपीलार्थी के) पक्षकार भी बनाये गये परन्तु निम्न न्यायालय ने उनके पक्ष या विपक्ष में कोई आदेश पारित नहीं किया। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय को तथाकथित आदेश में विपक्षी को विक्रय–विलेख निष्पादित करने का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। निम्न न्यायालय द्वारा अपने आदेश में दर्शाया गया कारण पर्याप्त (Cogent) नहीं है। उनका कहना है कि उक्त

आदेश सर्वेज्ञाता आयुक्त के प्रतिवेदन पर आधारित है जो कि इस कार्य हेतु सक्षम नहीं है। उक्त प्रतिवेदन के विरूद्ध अपीलार्थी ने निम्न न्यायालय में आपत्ति दी थी पर निम्न न्यायालय ने उस पर कोई विचार नहीं किया।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि प्रश्नगत चौहद्दी वाली जमीन (Adjoining land) छः व्यक्ति ने मिलकर खरीदा है जबकि हकसफा वाद मात्र दो व्यक्ति ने लाया है जिन्हें हकसफा वाद दायर करने का हक नहीं बनता है। विपक्षी प्रथम पक्ष ने कहानी गढ़ कर कहा है कि चौहद्दी वाली जमीन उनका हिस्सा में पड़ता है। अपीलार्थी ने निम्न न्यायालय में आपत्ति भी की थी परन्तु विपक्षी इसे प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल हुए थे। उन्होनें अपने हिस्से का लगान रसीद भी प्रस्तुत नहीं किया था। निम्न न्यायालय ने दान पत्र को फर्जी बताया था जो अवैधानिक और मनमाना आदेश था। उन्होनें निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

उत्तरवादी से 1 एवं 2 की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल करते हुए कहा गया है कि विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,खगड़िया ने उभयपक्ष द्वारा दाखिल दस्तावेजों और कथनों का गहण परिशीलन कर दिनांक– 26.05.14 को विधिवत् आदेश उनके पक्ष में पारित किया है। उन्होनें भूमि हदबंदी नियमावली के नियम 19 का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ब हैसियत पूर्वी चौहद्दीदार प्रश्नगत भूमि का अग्रक्रय दावा हेतु वाद दायर किया जो कि कृषि योग्य भूमि है।

उत्तरवादीगण आगे बताते है कि निम्न न्यायालय ने अधिवक्ता आयुक्त को स्थल जॉच हेतु नियुक्त किया था जिन्होनें दिनांक–30.08.2012 को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया जिसमें अधिवक्ता आयुक्त ने प्रतिवेदित किया कि प्रश्नगत भूमि के पूर्वी चौहद्दीदार आवेदक (उत्तरवादी) व्यास देव महतो है।

उत्तरवादीगण का यह भी कहना है कि पूर्वी चौहद्दीदार होने के दावे के समर्थन में उन्होनें निम्न न्यायालय में दो केवाला सं0–3893 एवं 3895 कुल रकवा 1 बिधा 8 कट्ठा 10 धूर प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया था जिसमें यह प्रमाणित हुआ कि वे पूर्वी चौहद्दीदार है। उनका यह भी दावा है कि चौहद्दीवाली जमीन उनको मौखिक बंटवारे में मिली है।

उन्होनें आगे बताया है कि उत्तरवादीगण का अग्रक्रय दावा विफल करने हेतु अपीलार्थी ने अपने दो नाबालिक पुत्र के नाम 10 कट्ठा जमीन का दस्तावेज दिनांक–02.12.2011 को बना दिया जो कभी अमल में नहीं आया। भौतिक सत्यापन में अधिवक्ता आयुक्त ने 10 कट्ठा भूमि का कोई खण्ड वहाँ अलग से नहीं पाया जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अपीलार्थी ने केवल एक फर्जी कागजी हस्तान्तरण दिनांक–02.12.2011 को कर दिया है जिसकी मान्यता कानुन में नहीं है। उन्होनें अपीलार्थी के अपील वाद को खारिज करने

का अनुरोध किया है।

उभयपक्ष को सुना। उनके द्वारा दाखिल कागजातों का भी अध्ययन किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया का हकसफा वाद सं0–10/2011 में दिनांक–26.05.2014 को पारित आदेश का गहण विश्लेषण किया।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया ने सर्वज्ञाता अधिवक्ता के प्रतिवेदन पर आधारित अपना आदेश पारित किया है। उन्होनें नियमावली के नियम 19 के अनुसार विपक्षी का आवेदन सही पाया है तथा आवेदन भी समय सीमा के अंदर पड़ा है। विपक्षी को प्रश्नगत भूमि का चौहद्दीदार पाया है जिसका मुख्य आधार सर्वज्ञाता अधिवक्ता द्वारा उभय पक्ष के समक्ष ~~सम्पन्न~~ किया गया स्थल जॉच प्रतिवेदन बताया है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपने नाबालिग दो पुत्र को प्रश्नगत भूमि का पुरब से 10 कट्ठा भूमि का हस्तान्तरण हकसफा के दावा को विफल करने के उद्वेश्य किया गया बताया है। अन्ततः उन्होनें विपक्षी के दावा को सही पाते हुए हकसफा का दावा विपक्षी के पक्ष में पारित किया है।

मैंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के हकसफा वाद सं0–10/2011 में संलग्न आवेदक व्यासदेव महतो वै0 का आवेदन एवं दाखिल केवाला सं0–3895 तथा 3893 एवं विपक्षी संजु देवी का केवाला सं0–7737 का भी अवलोकन किया। अपीलार्थी संजू देवी के केवाला सं0–7737 का भी अवलोकन किया। अपीलार्थी संजु देवी के केवाला सं0–7737 पूरब चौहद्दी खेसरा 297 एवं 299 तथा रामविलास पौद्दार का नाम अंकित है। खाता सं0–106 का खेसरा 297 की जमीन विपक्षी ने उपरोक्त केवाला संख्या द्वारा खरीदा है जो अपीलार्थी द्वारा खरीद की गई प्रश्नगत भूमि की पूरब चौहद्दी पर उनके केवाला सं0–7737 में अंकित है। इससे प्रमाणित होता है कि सर्वेज्ञाता अधिवक्ता द्वारा जॉच किया गया प्रतिवेदन सही है जिसमें विपक्षी को प्रश्नगत भूमि का चौहद्दीदार बताया है।

उपर्युक्त परिस्थिति में मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा हकसफा वाद 10/2011 में विपक्षी के पक्ष में पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है इसलिए उसे अक्षुण्ण रखते हुए अपीलार्थी का अपीलावाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

9/2/15

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

9/2/15

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।